न्यायालय समाहर्त्ता, सहरसा

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 06/16,

सूर्यभूषण, ग्राम साकिन– महिसरहो,
थाना– महिषी, प्रखंड– महिषी,
जिला– सहरसा।

बनाम

बिहार सरकार

—:आदेश:—

06.12.2019

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ आवेदक के ओर से दाखिल आवेदन के आलोक में की गई है। आवेदक द्वारा दाखिल यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक– 1968/गो०, दिनांक– 11.12.2015 के विरूद्ध है।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक– 1968/गो०, दिनांक– 11.12.2015 में वर्णित है कि:–

दिनांक 06.11.2014 को सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सदर सहरसा के द्वारा पैक्स महिसरहो, प्रखंड– महिषी की दुकान जाँच की गयी। जाँच में पाये गये अनियमितता क आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 2433/गो० दिनांक 24.11.2014 के द्वारा पैक्स संचालक श्री सूर्यभूषण से कारण पृच्छा की गई। पैक्स संचालक के द्वारा दिनांक 03.12.2014 को कारण पृच्छा समर्पित की गई। समर्पित कारण पृच्छा असंतोषप्रद पाये जाने के कारण पुनः इस कार्यालय के ज्ञापांक 523/गो० दिनांक 04.04.2015 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। इनके द्वारा दिनांक 16.04.2015 को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित की गई, जो निम्नवत है :–

(1) भंडार में अवितरति खाद्यान्न पी०एच०एच० गेहूँ 49.00 क्वीं एवं चावल 73.50 क्वीं तथा अन्त्योदय का गेहूँ 10.06 क्वीं एवं चावल 15.00 क्वीं पाये जाने के संदर्भ में प्रथम कारण पृच्छा में जबाब दिया गया है कि भंडार में अवितरित खाद्यान्न पी०एच०एच० गेहूँ 49.00 क्वीं एवं चावल 73.50 क्वीं तथा अन्तोदय का गेहूँ 10.06 क्वीं एवं चावल 15.00 क्वीं जुलाई 2014 का ही था। ठको चौधरी के द्वारा मेरे विरूद्ध आरोप नहीं लगाया गया है। श्री चौधरी का शपथ पत्र संलग्न किया गया है। संलग्न शपथ पत्र में ठको चौधरी का बयान दर्ज कराया गया है कि जांच पदाधिकारी के समक्ष मैं उपस्थित नहीं था। न ही किसी तरह का आरोप किसी लोभुक के द्वारा लगाया गया है। दिया गया जवाब संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि श्री

ठको चौधरी के द्वारा दिनांक 06.11.2014 को जांच पदाधिकारी के समक्ष बयान दिया है कि विक्रेता द्वारा 9(नौ) युनिट पर 18(अठारह) किलोग्राम गेहूँ तथा 27(सताईस) किलोग्राम चावल आपूर्ति किया गया, लेकिन निर्धारित राशि 117.00(एक सौ सत्तरह) रूपये के स्थान पर 162.00(एक सौ बासठ) रूपये लिया गया है जिसका शिकायत इन्होंने लिखित रूप से जांच के समय जांच पदाधिकारी को दिया है। भंडार में माह जुलाई 2014 का खाद्यान्न पाया जाना गलत मंशा को दर्शाता है, क्योंकि वैसे उपभोक्ताओं जिनके द्वारा खाद्यान्न उठाव नहीं किया गया, उन्हें खाद्यान्न ले जाने हेतु पहल नहीं किया गया। यह कृत्य स्पष्ट करता है कि खाद्यान्न गलत मंशा हेतु भंडारित कर रखा गया था। द्वितीय कारण पृच्छा में उक्त आरोप के संदर्भ में किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(2) अशेक कुमार, पिता बिन्देश्वरी मंडल एवं अन्य 24 उपभोक्ताओं द्वारा लगाये गये आरोप के संदर्भ में 8 उपभोक्ताओं का शपथ पत्र उपलब्ध कराया गया है। उपलब्ध शपथ पत्र का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि सभी शपथ पत्र एक ही तरह का बनवाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि शपथ पत्र दवाब या प्रलोभन देकर उपभोक्ताओं से बनवाया गया है। शेष का शपथ पत्र अप्राप्त रहने से आरोप प्रमाणित होता है।

(3) खाद्यान्न वितरण का फर्जी पंजी तैयार कर जांच के लिए समर्पित करने के संदर्भ में जवाब अप्राप्त रहने से आरोप प्रमाणित होता है।

(4) परेवा बस्ती में महादलित समुदाय के लोगों को अन्त्योदय या पी०एच०एच० कार्ड पर खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं करने के संदर्भ में जवाब दिया गया है कि अन्त्योदय और पी०एच०एच० का खाद्यान्न नियमित रूप से वितरित किया जाता है तथा वितरण से संबंधित कैशमैमो लाभुक को हस्तगत कराया जाता है। दिया गया जवाब असंतोषप्रद है, क्योंकि जांच के क्रम में महादलित समुदाय द्वारा स्पष्ट रूप से आरोप लगया गया कि खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की जाती है। समर्पित कैशमैमो की छायाप्रति अवलोकन से स्पष्ट है कि सादा कागज पर फर्जी कैशमैमो तैयार किया गया है।

(5) इस तरह आपके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पूरी तरह से असंतोषजनक एवं भ्रामक है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है। स्पष्टीकरण में लगाये गये आरोप को सिर्फ नकारा गया है। ठोस सबूत उपलब्ध नहीं कराया गया है।

इस प्रकार वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि पैक्स महिसरहो के उपर लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित होता है। इसलिए वर्णित गंभीर

अनियमितता के लिए विक्रेता के दुकान की अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने का प्रावधान है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश 2001 में वर्णित नियमों के तहत भी समीक्षा की गयी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/2001 में पारित न्यायादेश मे वर्णित है कि यदि अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित खाद्यान्न की मात्रा नहीं देते है या निर्धारित दर से अधिक कीमत लेते है, खाद्यान्न की कालाबाजारी में संलिप्त रहते है, नियमित दुकान नहीं खोलते हैं तो सम्बन्धित प्राधिकारी को एसे मामले में किसी प्रकार की उदारता नहीं दिखानी चाहिए और ऐसे अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया जाना चाहिए। पैक्स महिसरहो का कार्य इस निर्णय के दायरे में आता है।

इस प्रकार विक्रेता के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश 2001 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा– 3 सह –पठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश, 2001 एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना 2007 के तहत् प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पैक्स महिसरहो, प्रखंड– महिषी, जिला सहरसा की दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या 32/2011 को तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जाती है

ह०/–
अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर सहरसा।

आवेदक के ओर से अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश पर आपत्ति प्रकट कर कहना है कि वे प्रखंड महिषी में प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि० महिसरहो अन्तर्गत ज०वि०प्रणाली विक्रेता हैं। उनके द्वारा आवंटन के अनुरूप खाद्यान्न और अन्य सामग्रियों का ससमय उठाव कर लाभुकों को सही मूल्य और वजन के साथ वितरित किया जाता रहा है। दिनांक 06.11.2014 को सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सदर सहरसा द्वारा इनके दुकान की जांच की गई। जांच के समय आवेदक अपने दुकान पर मौजूद थे और दुकान खुली हुई थी। आवेदक द्वारा उठाव किए गए खाद्यान्न के वितरण पंजी एवं भंडार पंजी की मांग किये जाने पर जांच पदाधिकारी को सभी पंजी उपलब्ध कराया गया।

आवेदक का आगे कहना है कि सभी आवश्यक पंजी और साक्ष्य दिये जाने के बाद भी जांच पदाधिकारी द्वारा तथ्य से हटकर जांच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को समर्पित किया गया। समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गई। आवेदक द्वारा अनुमंडल कार्यालय से प्राप्त पत्र के आलोक मे ससमय दिनांक 03.12.2014 को अपना स्पष्टीकरण

समर्पित किया गया और किसी प्रकार के अनियमितता नहीं किये जाने की बात कही गयी।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदक के दिनांक 03.12.2014 को समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद दर्शाते हुए पुनः ज्ञापांक 523/गो०, दिनांक 04.04.2015 से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग गई। आवेदक द्वारा अपने उपर लगे आरोप का संतोषप्रद खंडन करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा भी दाखिल किया गया।

अपने समर्पित कारण पृच्छा में इनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि जांच पदाधिकारी द्वारा भंडार में जो अवितरित खाद्यान्न पी०एच०एच० गेहूँ 49 क्वीं एवं चावल 73 क्वीं तथा अन्त्योदय का गेहूँ 10 कवीं एवं चावल 15 क्वीं पाये जाने के संबंध में इनका कहना है कि वह खाद्यान्न माह जुलाई 2014 का था, जिसका उठाव दिनांक 20.10.2014 को किया गया। विभाग द्वारा आवंटन काफी विलम्ब से दिया गया। इसलिए उठाव कर भंडार में रखा गया। जो तथ्य बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि० के भंडार के निर्गमादेश के अवलोकन से स्पष्ट होगा।

माह अगस्त के खाद्यान्न का उठाव का निर्गमादेश ज्ञाप संख्या 426 दिनांक 05.11.2014 को निर्गत है तथा उठाव 06.11.2014 को किया गया, जवकि जांच भी 06.11.2014 को किया गया। उक्त स्थिति में उनपर माह अगस्त के खाद्यान्न का वितरण नहीं किये जाने से संबंधित आरोप सही प्रतीत नहीं होता है।

जांच प्रतिवेदन में लगाए गए फर्जी वितरण पंजी तैयार करने संबंधी आरोप भी निराधार है। क्योंकि सभी पंजी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी महिषी द्वारा सत्यापित है, तो इस स्थिति में उक्त पंजी के फर्जी होने संबंधी आरोप सर्वथा निराधार है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने आदेश में इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया गया कि महिसरहो में कुल 08 वार्ड इन्हें आवंटित है जिसमें कुल 5500 युनिट के बदले इन्हें मात्र 3200 युनिट का आवंटन उपलब्ध कराया जाता है। इस संदर्भ में इनके द्वारा आवेदन देकर दिनांक 26.07.2014 को अनुमंडल पदाधिकारी को सूचित भी किया गया किन्तु, आवंटन नहीं बढ़ाया गया।

आवेदक का अंततः कहना है कि कोई भी लाभुक द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध लिखित शिकायत विभाग में नहीं दिया गया। जिस लाभुक के संबंध में जांच पदाधिकारी अपने जांच प्रतिवेदन में दर्शाये हैं, उन सभी के द्वारा अपना शपथ पत्र दाखिल कर आवेदक के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं होने की बात कही गयी है।

इस प्रकार आवेदक का कहना है कि उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्रामीण राजनीति के तहत इन्हें परेशान करने हेतु गलत शिकायत जांच पदाधिकारी के समक्ष किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। इनके द्वारा सभी तथ्यों के साथ अपना स्पष्टीकरण भी अनुमंडल पदाधिकारी को

समर्पित किया गया। परन्तु, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर समुचित विचार किए बिना इनके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। अतः इनके ओर से अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक– 1968/गो०, दिनांक– 11.12.2015 को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभयपक्ष को सुना तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश, 2001 यथा संशोधित 2004 के कंडिका 07 में अनुज्ञप्ति के निलंबन तथा रद्दीकरण का प्रावधान है, जिसके अनुसारः–

'' 1.माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/01 में पारित न्यायादेश के आलोक में निम्नांकित स्थितियों में अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कारवाई की जायेगीः–

Licensees, who

a) do not keep their shops open throughout the month during the stipulated period,
b) fail to provide grain to BPL families strictly at BPL rates and no higher,
c) keep the cards of BPL household with them,
d) make false entries in the BPL cards,
e) engage in black marketing of siphoning away grains to the open market and hand over such ration to such other person/organisations shall make themselves liable for cancellation of their license. The concerned authorities/functionaries would not show any laxity on the subject.

II. यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी किसी प्रावधान अथवा अनुज्ञप्ति की निबंधन एवं शर्तों या अपने किसी दायित्वों एवं कर्त्तव्यों या राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करता है तो, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियिम–10) के अधीन उसके विरूद्ध की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना उसकी अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन पदाधिकारी के लिखित आदेश द्वारा रद्द की जा सकेगी।''

उपरोक्त विवेचन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि अनुप्तिधारी अपने कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का अनुपालन करने में विफल रहे। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी ने अति सूक्ष्मता के साथ लगाये गये आरोपों का विवेचन करते हुए एवं आरोप की गंभीरता को घ्यान में रखते हुए आवेदक के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

इस प्रकार समीक्षोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं हो रही है। अतः आवेदक का अपील आवेदन

खारिज किया जाता है तथा अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक–ज्ञापांक 1968/गो०, दिनांक 11.12.2015 को संपुष्ट किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहर्त्ता
सहरसा।

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक ......18............../न्याया०, सहरसा, दिनांक 13·01·20..........

प्रतिलिपि :– श्री सूर्य भूषण (रद्द) पैक्स, महिसरहो के मूल अभिलेख के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
13/01/20